

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022—वैशाख 16, शक 1944

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण सूचित हों कि मुझ शपथकर्ता कौशलेन्द्र सिंह कुशवाह उर्फ नीतू सिंह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाह निवासी—ग्राम सुघर सिंह का पुरा पो. बबेड़ी जिला भिण्ड (म.प्र.) को दोनों नामों से जाना जाता है. शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कौशलेन्द्रसिंह कुशवाह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाह दर्ज है. आम बोल-चाल की भाषा में मुझे नीतू सिंह पुत्र अंगद सिंह कुशवाह के नाम से ही जाना जाता है.दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में समस्त दस्तावेजों में नीतू सिंह के स्थान पर कौशलेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाह मान्य किया जावे.

#### पुराना नाम

(नीतू सिंह )

पुत्र श्री अंगद सिंह

निवासी—मजरा सुघरसिंह का पुरा, ग्राम पंचायत  
बबेड़ी, तहसील व जिला भिण्ड, थाना देहात  
भिण्ड (म.प्र.).

(G-767)

#### नया नाम

(कौशलेन्द्रसिंह कुशवाह )

पुत्र श्री अंगद सिंह

निवासी—मजरा सुघरसिंह का पुरा,ग्राम पंचायत  
बबेड़ी, तहसील व जिला भिण्ड, थाना देहात  
भिण्ड (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

मैं, गौरव अग्रवाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरे बचपन का नाम प्रज्जवल कुमार गर्ग था जो मेरे यू.टी.आई डिवीडेण्ड फण्ड एवं अन्य प्रपत्र में लिखा गया है. जबकि गर्ग मेरा सरनेम नहीं गोत्र है. वर्तमान मे मैं गौरव अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है. और भविष्य में भी, मैं, गौरव अग्रवाल के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा. अतः गौरव अग्रवाल एवं प्रज्जवल कुमार गर्ग दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरे यू.टी.आई डिवीडेण्ड फण्ड एवं अन्य प्रपत्र में मेरा नाम प्रज्जवल कुमार गर्ग के स्थान पर गौरव अग्रवाल लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

**पुराना नाम**  
(प्रज्जवल कुमार गर्ग)

**नया नाम**  
(गौरव अग्रवाल)  
पुत्र श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल  
पता—जिंसी नाला नं. 2 गुब्बारा फाटक  
लोहिया बाजार ग्वालियर.

(G-768)

### नाम परिवर्तन

मैं, ईवा नम्बिसन (Eva Nambison), पुत्री डॉ. निशांत केएम नम्बिसन (Nisanth Km Nambison), व्यस्क, निवासी—ई-11/2, चार इमली, भोपाल 462016, की सीबीएससी की 2019 में संपन्न 10 वीं की परीक्षा अनुक्रमांक 1216793, की अंकसूची, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट में माता का नाम त्रुटिवश स्मिता एन नम्बिसन (Smita N Nambison) अंकित है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरी माता का सही नाम स्मिता निशांत नम्बिसन (Smita Nisanth Nambison) अंकित है.

अतः अब से सभी कार्यों हेतु मेरी माता का नाम स्मिता एन नम्बिसन (Smita N Nambison) की जगह सही नाम स्मिता निशांत नम्बिसन (Smita Nisanth Nambison) के नाम से लिखा, पढ़ा, जाना एवं पहचाना जायेगा.

**त्रुटिपूर्ण नाम**  
ईवा नम्बिसन (Eva Nambison),  
स्मिता एन नम्बिसन (Smita N Nambison)

**सही नाम**  
ईवा नम्बिसन (Eva Nambison),  
स्मिता निशांत नम्बिसन (Smita Nisanth Nambison).

(G-769)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड नंबर—557899721376 में त्रुटिवश मेरा नाम अजय गलती से दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम संजय शिवहरे है, जो कि मेरे वोटर कार्ड नंबर NMU—3093614 में दर्ज होकर सही है एवं सत्य है जो कि मेरे वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पास बुक, अंकसूची इत्यादि दस्तावेजों में दर्ज है, मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम संजय शिवहरे अंकित किया जावे।

**पुराना नाम**  
(AJAY)

**नया नाम**  
(SANJAY SHIVHARE)  
Sun/o HARI SHANKEAR SHIVHARE  
R/o 115 WARD 52 PATEDAR MOHLLA  
NEAR HNUMAN MANDER MISROD, HUIJUR,  
BHOPAL MISROD (M.P)

(G-770)

**नाम परिवर्तन**

मैं, रामफूल अहिरवार (RAMFOOL AHIRWAR) आत्मज श्री जगन्नाथ अहिरवार, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला विदिशा, निवासी ग्राम तारा सेवनिया तहसील हुजूर जिला भोपाल, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, अभिलेखों, लेखों एवं कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम RAMFOOL , RAM FOOL AHIRWAR, RAMFOOL AHIRWAR, RAM PHOOL AHIRWAR एवं RAMPHOOL AHIRWAR भी दर्ज है, इनके स्थान पर मेरा नाम समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, अभिलेखों, लेखों एवं अन्य दस्तावेजों में RAMPHOOL AHIRWAR पढ़ा एवं लिखा जावे, अब मुझे RAMPHOOL AHIRWAR नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा एवं लिखा जावे.

**पुराना नाम**

(RAMFOOL /RAMFOOL AHIRWAR/RAM FOOL AHIRWAR)

आत्मज श्री JAGNNATH/JAGANNATH AHIRWAR.

**नया नाम**

(RAMPHOOL AHIRWAR )

आत्मज श्री JAGANNATH AHIRWAR.

(G-771)

**नाम परिवर्तन**

मैं प्रार्थी विनोद परमार पिता स्व. सीताराम जी परमार निवासी 22, कबीर मार्ग, गली नंबर-03, धार तहसील धार जिला धार (म.प्र.) मुझे आज से वर्तमान में विनोद परमार नाभावंशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. शैक्षणिक तथा लोक दस्तावेजों में भी एवं अन्य सभी दस्तावेजों में विनोद परमार नाभावंशी के नाम से ही जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

**पुराना नाम**

(विनोद परमार)

**नया नाम**

(विनोद परमार नाभावंशी)

(G-772)

**नाम परिवर्तन**

मैं मनमोहन पाल पिता कैलाश पाल उम्र 39 साल निवासी ग्राम भोमवाडा तहसील सनावद जिला खरगोन म.प्र. का निवासी हूं. मेरा तहसील सनावद के ग्राम भोमवाडा प.ह.नं. 55 में सर्वे नंबर 132/2 रकबा 1.395 हे. की भूमि मेरे नाम से दर्ज है. उक्त कृषि भूमि राजस्व पत्रकों में मेरे बचपन का नाम मनोहर दर्ज किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे समस्त दस्तावेज अंकसूची, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व मूल निवासी प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज पर मेरा नाम मनमोहन पाल पिता कैलाश पाल लिखा है. इसलिए उक्त कृषि भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम मनोहर के स्थान पर मनमोहन पाल पिता कैलाश पाल पढ़ा एवं लिखा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

**पुराना नाम**

(मनोहर पाल).

**नया नाम**

(मनमोहन पाल).

(G-773)

**नाम परिवर्तन**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम देवश्री भावसार पिता स्व० श्री जगदीश भावसार

था. विवाह के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती देवश्री उपाध्याय पति श्री कमल उपाध्याय हो गया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे. नाम परिवर्तन के समर्थन के सम्बन्ध में तथा अन्य विधिक प्रक्रिया पूर्ति हेतु यह सूचना प्रकाशित करवाई जा रही है.

<b>पुराना नाम</b> (देवश्री भावसार)	<b>नया नाम</b> (देवश्री उपाध्याय)
---------------------------------------	--------------------------------------

(G-774)

### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम केशव भावसार था. मेरी जन्मदात्री माता श्रीमती देवश्री उपाध्याय द्वारा मेरे वर्तमान पिता श्री कमल उपाध्याय से विवाह के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर केशव उपाध्याय पिता श्री कमल उपाध्याय हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे. नाम परिवर्तन के समर्थन के सम्बन्ध में तथा अन्य विधिक प्रक्रिया पूर्ति हेतु यह सूचना प्रकाशित करवाई जा रही है.

<b>पुराना नाम</b> (केशव भावसार)	<b>नया नाम</b> (केशव उपाध्याय)
------------------------------------	-----------------------------------

(G-775)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जयनारायण वैष्णव पिता प्रेमदास निवासी किसानी मुहल्ला बरेला वार्ड नं. 01 जिला जबलपुर शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा नाम जयनारायण वैष्णव से, जयनारायण तिवारी के नाम से जाना पहचाना जावेगा. मैंने उपनाम परिवर्तित कर जयनारायण तिवारी करा लिया है. मेरे समस्त शैक्षणिक-अशैक्षणिक दस्तावेजों में जहाँ भी जयनारायण वैष्णव नाम दर्ज है, उसे जयनारायण तिवारी पढ़ा व लिखा जावें.

<b>पुराना नाम</b> (जयनारायण वैष्णव) JAINARAYAN VAISHNAV.	<b>नया नाम</b> (जयनारायण तिवारी) JAINARAYAN TIWARI किसानी मुहल्ला बरेला वार्ड नं. 01 जिला जबलपुर म.प्र.
--	---

(G-776)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा NANDAKUMAR K.S S/O SHANKARARU KRISHNARU निवासी हाउस नंबर 25/2 बी साईनाथ नगर कोलार रोड भोपाल, मध्यप्रदेश था. अब परिवर्तित होकर मेरा नाम NANDKUMAR K.S. हो गया है.

अतः अब भविष्य में मुझे NANDAKUMAR K.S. S/O SHANKARARU KRISHNARU के नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(NANDAKUMAR K.S.)

नया नाम  
( NANDKUMAR K.S.)

(G-777)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स, 99, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331 पंजीयन क्रमांक 03-27-01-00050-12 की साझेदारी से श्री संजय कुमार अग्रवाल पिता श्री छगनलालजी अग्रवाल तथ श्रीमति रश्मिदेवी अग्रवाल पति श्री संजय कुमार अग्रवाल निवासी, 221-2 श्री व्यंकटेश विला, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर म.प्र., दिनांक 01-12-2021 को निवृत्त हो गये हैं, जिनका भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं रहेगा, जो फर्म के जारी रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है. इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स की साझेदारी में श्री राजीव तिरपुडे पिता श्री ताराचंदजी तिरपुडे निवासी, A-04 यशोधाम कॉलोनी, गुरुगोविंदसिंग कॉलोनी वार्ड नं. 40, गुरुनानक वार्ड, बुरहानपुर म.प्र. साझेदार के रूप में दिनांक 01-12-2021 से सम्मिलित हो चुके हैं, जो फर्म के जारी रहने वाले साझेदार को स्वीकार है. इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स की साझेदारी में वर्तमान में अब 1. श्री मोहित अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल तथा 2. श्री राजीव तिरपुडे पिता श्री ताराचंदजी तिरपुडे फर्म के वर्तमान भागीदार रहेंगे, सर्वजन व आमजन सूचित हो.

वास्ते: मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स

मोहित अग्रवाल

(पार्टनर)

99, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर (म.प्र.)

(G-778)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मेसर्स- जैन पेट्रोलियम कम्पनी मेन रोड, डिण्डोरी, पं. क्रं. 04-20-01-00257-10, दिनांक 26-11-2010 को पंजीयत है. फर्म में 1- सुगमचंद जैन पिता स्व. श्री नेमीचंद जैन 2- श्री मनीष कुमार जैन पिता श्री सुगमचंद जैन निवासी मेन रोड, डिण्डोरी भागीदार है. फर्म में दिनांक 01-04-2022 से श्री आर्यन जैन पिता श्री मनीष कुमार जैन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं तथा श्री सुगमचंद जैन पिता श्री नेमी चंद जैन फर्म से आपसी सहमती से पृथक हो रहे हैं. किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

पार्टनर-सुगमचंद जैन

मेसर्स- जैन पेट्रोलियम कम्पनी मेन रोड, डिण्डोरी.

(G-779)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s ALLIED ASSOCIATES जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00421-22, दिनांक 05-02-2022 पता- H.No.27, Golden City, Neelbad, Phanda, Bhopal M.P. है जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्म है. उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में जगमोहन पाटीदार S/o श्री लक्ष्मी नारायण पाटीदार सम्मिलित हो रहे हैं.

आम जन एवं सर्व जन सूचित हो.

फर्म M/s ALLIED ASSOCIATES.

सत्य नारायण पाटीदार (भागीदार)

(G-780)

**लोक सूचना**

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के अंतर्गत फर्म के विघटन की लोक सूचना

फर्म का नाम- M/s KASYAP & SONS, RATLAM

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S KASYAP & SONS, RATLAM, फर्म का पता-कृषि उपज मंडी के सामने, महु नीमच रोड, रतलाम (म.प्र.) रजिस्ट्रेशन क्र.-07-37-01-0036-15, रजिस्ट्रेशन दि.: 28-07-2015, जो कि एक विधिवत पंजीकृत फर्म होकर पेट्रोलिय व्यवसाय में लगी हुई है, उक्त फर्म के भागीदार 1) श्री चैतन्य कुमार काश्यप पिता अशोक कुमार काश्यप व 2) श्री निर्मल कुमार लुनिया पिता सुजानमल लुनिया है, उक्त फर्म का दिनांक 31मार्च 2022 से विघटन हो गया है, यानी उक्त भागीदारी अब क्रियाशील नहीं रहेगी, यदि उक्त विघटन पर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह निम्नलिखित नम्बर पर सूचित करे आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

निर्मल कुमार लुनिया पिता सुजानमल लुनिया  
(भागीदार),

(G-781)

**सूचना**

ए.के.एस. कन्सल्टेन्सी फर्म क्रमांक 05-22-03-0028-16 सन् 2016-17 पर पंजीकृत थी. उक्त फर्म में श्रीमती शालू सिंह, श्री अशोक सिंह, श्री संदीप सिंह भागीदार थे. फर्म को समाप्त/ भंग दिनांक 05-03-2022 को हो गया.

ए. के. एस. कन्सल्टेन्सी  
एल. आई. जी. -3-29-335  
नेहरू नगर, रीवा.

(G-782)

**NOTIFICATION**

[ NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.]

It is published for general information that, due to demise of LATE SHRI DEVENDRA KUMAR DASOT S/o LATE SHRI KANHAIYALAL DASOT 7, SITA BAGH COLONY, INDORE (M.P.) PINo. 452001. on 16-05-20520, now he is no longer associated with the partnership firm "M/s SAKAR REALITY 309, SAPPHIRE TWINS, 16-17, A.B. ROAD, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.) registered vide registration no. 03-27-03-00120-09 dt. 07-10-2009.

For: "M/s SAKAR REALITY"  
(SHRI GOPALDAS GOYAL).

**Partner.**

(G-783)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय माता दी कांस्ट्रक्शन, बुढार जिला शहडोल (म0प्र0) से दिनांक 01-04-2021 से भागीदार श्रीमती ममता भट्ट को उनकी स्वेच्छा से पृथक किया जाता है, उक्त दिनांक के पश्चात पृथक किये गये भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं रहेगा. शेष पार्टनर यथावत फर्म में बनें रहेंगे.

**भवदीय**

मेसर्स जय माता दी कांस्ट्रक्शन  
सुजीत सिंह चन्देल (भागीदार)

(G-784)

### आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स लाल इलेक्ट्रॉनिक्स पता फस्ट फ्लोर जे 28 गांधी नगर ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 1315 एवं दिनांक 12-01-1982 जिसमें दिनांक 06-04-2022 को (1) श्रीमती अंजली मारवाह पत्नि स्व. श्री विनीत मारवाह, निवासी जी.आर फ्लोर जे 28 गांधी नगर ग्वालियर (2) श्री मोहित मारवाह पुत्र श्री विजय कुमार मारवाह निवासी गण जे-28 गांधी नगर ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 06-04-2022 को श्रीमती सोनाली मारवाह पत्नी श्री दीपेश कुमार मारवाह निवासी जे 28 गांधी नगर ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

विनोद मारवाह (भागीदार)

मैसर्स लाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(G-785)

### आम सूचना

मेसर्स विशुद्ध विहार एसोसिएट्स, सागर (म.प्र.)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स विशुद्ध विहार एसोसिएट्स, जिसका पंजीकृत कार्यालय पुराना गल्ला मंडी रोड कटरा बाजार सागर (म.प्र.) में स्थित है जिसका दिनांक 01 मार्च, 2022 से सभी साझेदारों की सहमति से फर्म भंग की जा रही है तथा फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है।

श्री पियूष कुमार जैन

श्री सुरेंद्र कुमार जैन

मेसर्स विशुद्ध विहार एसोसिएट्स

वर्तमान साझेदार सागर, मध्यप्रदेश.

(G-786)

### भागीदार परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भानू ट्रेक्टर्स के नाम से भागीदारी फर्म चलाई जा रही है। उक्त फर्म में श्री श्री भानू जैन दिनांक 01-04-2020 से शामिल हो रहे हैं तथा श्री शोएब हुसैन दिनांक 01-04-2020 से इस फर्म से अलग हो रहे हैं। इस फर्म का पूर्व पता 7 चिमनगंज मण्डी आगर रोड उज्जैन था। जिसका नया पता एच-8 सांदिपनी नगर, सेंटपाल स्कूल रोड उज्जैन हो गया है।

सादर प्रकाशनार्थ।

श्री निशांत गोधा (भागीदार)

मेसर्स भानू ट्रेक्टर्स, उज्जैन.

(G-787)



न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)  
(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 एवं नियम 51(1) म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के अंतर्गत)

### सूचना-पत्र

नोटिस जो कि सर्व श्री

1. दंगल सिंह चौहान तनय हीरा सिंह चौहान(अध्यक्ष)
2. अंकुर यादव तनय अशोक यादव(उपाध्यक्ष)
3. राजेश दुबे तनय रामजी दुबे(सचिव)
4. अरुणदेव खरे तनय रामप्रसाद खरे(सहसचिव)
5. रवि सोनी तनय बसंतलाल सेठ(कोषाध्यक्ष)
6. कौशल किशोर त्रिपाठ तनय नंदकिशोर त्रिपाठी(सदस्य)
7. प्रवीण गुप्ता तनय नर्वदा प्रसाद गुप्ता(सदस्य)
8. रामविशाल तिवारी तनय सेवाराम तिवारी(सदस्य)
9. रंजोर सिंह तनय विजय सिंह(सदस्य)
10. अवधेश प्रताप सिंह तनय मलखान सिंह(सदस्य)
11. श्रीमति प्रवीण द्विवेदी पति सुरेश प्रसाद द्विवेदी(सदस्य)
12. नीलेश पाण्डेय तनय हरीगोविन्द पाण्डेय (सदस्य)
13. लोमेश गर्ग तनय स्वामीप्रसाद गर्ग(सदस्य)

समस्त निवासी मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 05 के अंतर्गत निम्नांकित अनुसूची में दर्शायी गई सार्वजनिक धार्मिक संस्था की व्यवस्था हेतु पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किये जाने के वास्ते आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिये सार्वजनिक जानकारी हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05/05/2022 को दिन के 11.00 बजे सुनवाई की जावेगी।

### अनुसूची(क) न्यास की संपत्ति का विवरण

क्रं	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	अचल संपत्ति का विवरण	चल. संपत्ति का विवरण	रिमार्क
1.	न्यास श्री योगी देवनाथ विचार-प्रसार पब्लिक, ट्रस्ट, देवनाथपुरम सलैया	आश्रम के मुख्य द्वार के दोनों साइड दो रूम कमरे अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ वेल फर्नीचर, आश्रम के मुख्य द्वारा के राइट साइड 2 मंजिल बिल्डिंग के नीचे 5 कमरे 15 बाई 12 के वेल फर्नीचर लैट्रिन बाथरूम अटैच, दूसरी मंजिल बिल्डिंग के बगल में वेल डेरोरेट किचन एंड डायनिंग हॉल, किचन से सटा हुआ 35 बाई 50 का टीन सेट जिसमें तीन कमरे 01 हाल जिसमें 20 लकड़ी के बेड सहित, टीन सेट हाल के राइट साइड कुएं के बगल में 18 बाई 60 के एक हाल दो भाग में एक में खाना बनता है। दूसरे में शटरिंग का सामान रखा हुआ है। शटरिंग के सामान में 300 प्लेट लगभग 100 बल्ली और प्लाई की शटरिंग जंग लेटर दो पंप वाटर, हाल के बगल में महुआ पेड के सामने 12 लैट्रिन बाथरूम बना हुआ जिसका 70 परसेंट काम पूरा हो चुका है। आश्रम के मुख्य द्वारा के लेफ्ट साइड 40 बाई 100 का गाय के भूसे के लिए टीन का हाल बना हुआ है। भूसे हाल के बगल में गाय रहने के लिए 30 बाई 200 लगभग गौशाला बना हुआ है इसके सामने मंदिर बनाया जा रहा है जिसका	एक इनोवा कार up62v 0033, एक मरुती एम्बुलेंस up62p 7088, एक टाटा सोमो, एक टैक्टर,	

		<p>निर्माण चल रहा है। गौशाला के ठीक सामन गाय के लिए 5 कमरों की गौशाला है जिसमें गर्भवती और बीमार गाये रखी जाती है। 5 गाय के कमरों से सटा हुआ गोपालक के रहने के लिए कमरा बना हुआ है उसे सटा हुआ एक और गौशाला 50 बाई 150 फीट का है। 50 बाई 150 फीट गौशाला के पीछे गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का हाल है जिसकी लम्बी 25 चौड़ाई 30 लगभग है इसी के सामने बंगला बन रहा है जिसमें एक रूम, हाल है। 02 बोर, 02 कुँआ है। ग्राम डुगरिया हल्का सलैया स्थित भूमि खसरा नम्बर 133/2 रकवा 9.0000 हेक्टेयर।</p>	<p>एक ट्रॉली, एक मिचर मशीन लेन्टर का मशाला बनाने वाली, एक पानी का टैंकर, एक गेहूँ निकलने की मशीन, एक गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन है।</p>	
--	--	---	--	--

जो भी व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट अथवा अनुसूची में दर्शायी संपत्ति में हित रखते हो या सुझाव देना चाहते हो वह अपना जबाब दावा दो प्रतियों में इस नोटिस के जारी होने के अंदर अघोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय के पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी

(G-788)

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/बी-113/2021-22

जा क्र. 303 दिनांक 18 अप्रैल

2022

प्रारूप-पांच

[देखिये नियम 5(1)]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 की धारा 5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत सामाजिक पंजीयन, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

आवेदक श्री कुमेरसिंह पठारिया, अध्यक्ष गायत्री परिवार ट्रस्ट, कालापीपल मंडी, निवासी कालापीपल मंडी द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-2 की उपधारा-4 से अभिप्राय के लिये मानव सेवा व स्वास्थ्य व अन्य सेवा प्रदन करना तथा लोक न्यास धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास अकोदिया मंडी पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिस पर दिनांक 09-05-2022 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाश होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी वैध प्रतिनिधी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

- 1- न्यास का मुख्यालय- कालापीपल मंडी, जिला शाजापुर म.प्र.
  - 2- न्यास का कार्यक्षेत्र- कालापीपल मंडी जिला शाजापुर
  - 3- न्यास का उद्देश्य- गायत्री परिवार का प्रचार प्रसार एवं करना
  - 4- न्यास आय के साधन- किराया अनुदान द्वारा।
- चल-अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :-

### अचल संपत्ति

शुजालपुर रोड पर ग्राम चाकरोद, तहसील-कालापीपल में भूमि सर्वे क्रमांक 884/6/4 रकबा 0.070 हेक्टेयर भूमि अनुमानित कीमत 10,00,000/- रुपये

### चल संपत्ति

मां गायत्री के चांदी के जेवरात अनुमानित मूल्य 50,000/- रुपये तथा भंडारे में भोजन बनाने का सामान अनुमानित कीमत 10,000/- रुपये एवं नगद राशि 10,000/- रुपये।

पेशी दिनांक 09 मई 2022

सत्येन्द्र प्रसाद सिंह  
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-789)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मल्हारगढ जिला  
मन्दसौर, मध्यप्रदेश

प्र.क्रं. 01/बी-113(1)/22-23

मल्हारगढ, दिनांक 19 अप्रैल 2021

प्रारूप-पांच  
[देखे नियम 5(1)]

-:सूचना-पत्र:-

:म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-5(2) लोक न्यास नियम 1962नियम-5(1):

पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ, जिला मन्दसौर के समक्ष आवेदक अध्यक्ष स्वामी श्री कृष्णानंद सेन परमार्थिक ट्रस्ट विष्णु सेन कछावा पिता स्व. मांगीलालजी: कछावा निवासी मल्हारगढ "श्री स्वामी श्री कृष्णानंदजी सेन परमार्थिक न्यास प्रधान कार्यालय मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0" द्वारा आवेदन पेश किया गया।

मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है,

अब इसलिए, मैं मुकेश शर्मा लोक न्यास का पंजीयक उपखण्ड मल्हारगढ जिला मन्दसौर में न्यायालय में पेशी दिनांक 27/05/2022 को उपखण्ड मल्हारगढ पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मैंरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची:-

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम:- "श्री स्वामी श्री कृष्णानंदजी सेन परमार्थिक न्यास प्रधान कार्यालय मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0" है।

सम्पत्ति का विवरण:- ट्रस्ट की सभी चल/अचल/सम्पत्तिया ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में जो निम्न प्रकार है:-

1- ट्रस्ट की चल सम्पत्ति:- 35,700-00 रु केश हैं।

2- ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति:- निरंक

ट्रस्ट का स्थान:- "श्री स्वामी श्री कृष्णानंदजी सेन परमार्थिक न्यास प्रधान कार्यालय मकान नं0 87 गांधी मार्ग, नया बाजार अध्यक्ष डॉ. विष्णुसेन कछावा के मकान मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0" में स्थित है।

मुकेश शर्मा

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग,  
(मल्हारगंज) इन्दौर मध्यप्रदेश  
सूचना-पत्र

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आवेदक न्यास "श्री नागदाह अग्निहोत्री शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट" कार्यालय 66 लोधीपुरा नंबर 1 इंदौर पंजीयन क्रमांक 498/1994 दिनांक 30/07/1994 के प्रकरण क्रमांक 0019/बी-113/1993-94 से रजिस्टर्ड तर्फे कार्यकारी न्यासी पुष्करलाल व्यास, डॉ धर्मपाल शर्मा, गजेन्द्र शर्मा द्वारा म.प्र.लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित प्रपत्र प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, ट्रस्ट के नाम "श्री नागदाह अग्निहोत्री शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट" के स्थान पर "श्री नागदाह अग्निहोत्री ब्राह्मण शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इंदौर परिवर्तनों की प्रविष्टि न्यास पंजीयों में किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(मुनीष सिंह सिकरवार)  
रजिस्ट्रार.

(G-791)

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

फा.अ.क्र./190/1/आर-4/D.No.3547-53.-

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

कब्रस्तान गोलखेड़ी ग्राम गोलखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पंजीयन हेतु हफीज खान वल्द रहीम खान, निवासी म.नं. 40 गंगोर बावड़ी नई मस्जिद के पास काजी केम्प तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति के पंजीयन हेतु वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वक्फ संबंधित आवेदन साक्ष्य व अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न सम्पत्ति जिसका पंजीयन वक्फ पंजी के अनुक्रमांक 763 पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 41 के अंतर्गत कर लिया गया है।

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ सम्पत्ति

सम्पत्ति जिसकी प्रवृष्टि वक्फ पंजी में की गई

कब्रस्तान ग्राम गोलखेड़ी  
बैरसिया रोड तहसील हुजूर  
जिला भोपाल

खसरा नं. 209 रकबा 0.120

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे।

(एस.यू. सैयद)

रा.प्र. सेवा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

(G-792)

नकल रजिस्टर रजिस्ट्रेशन औकाफ वाके

तहसील:-

जिला- भोपाल

जिल्द नम्बर \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
763	खजुरतान ग्राम मोल खेड़ी नेरसिया रोड तहसील हुन्नूर जिला भोपाल	मुन्नी	-	-	तफसील जायदाद मोकुफा मय हुदुद अरबा व नाम शहर तह. मोजा	खसरा या म्युनिस्पल न.	क़सबाके बकर	खसरा साल 2011-2012 की फ़ीटो की	खसरा न. 208 रकना 0.120	मुद्द दफन होते हैं	एफसील दस्तावेजात मुताल्लिक कायमी बल्क	कुल आसबनी धालाना	मसालिक सासना बकल निरोहवास्त बल्क	मसालिक सासना (खलिफ) मुताल्लिक की तल्बाह (म) क़मुपल मलहदी पर (म) चकुरे बैचारी पर (म) दिगर अमुपल पर	मालमुजाबी और महसुलात	तारीख रजिस्ट्रेशन 07.04.2012	सी.ई.ओ. जरिया गिस्त सुमार 400 म. च. 1 सन 2012 ई. हुन्नूर हुस्त वेपरनेन साहन मुयारिखा 07.04.2012 बकल छला का रजिस्ट्रेशन किया गया।  दस्ताखा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमपी. बक बोर्ड भोपाल

सत्य प्रतिलिपि  
उर्दू से हिन्दी

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश  
(लुनिया चौराहा पुरानी जिला पंचायत सीहोर)

सीहोर, दिनांक 21 मार्च 2022

क्र./परिसमापन/2022/403

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2021/652 सीहोर दिनांक 05-08-2021 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित फूलमोगरा तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1322 दिनांक 13.03.2005 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29-07-99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित फूलमोगरा तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1322 दिनांक 12-03-2005 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-793)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2022

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403 सीहोर, दिनांक 22-04-2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ताजपुरा तहसील आष्टा जिला, सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1739, दिनांक 20.01.2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह-1 सी, दिनांक 29-07-99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित ताजपुरा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1739 दिनांक 20-01-2014 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-796)

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2021/650 सीहोर दिनांक 05-08-2021 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डोबरा तहसील सीहोरे, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1156 दिनांक 06.01.2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह-1 सी, दिनांक 29-07-99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित डोबरा तहसील सीहोर, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1156, दिनांक 06-01-2001 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-797)

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2021/651 सीहोर दिनांक 05.08.2021 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रायपुरा तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1142 दिनांक 23.03.2000 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रायपुरा तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1142 दिनांक 23.03.2000 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।  
(G-798)

इस कार्यालय का आदेश क्रं./परिसमापन/2015/731 सीहोर दिनांक 04.08.2015 के द्वारा बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विप. सह. संस्था मर्यादित, हकीमाबाद तह. आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रं. 1527 दिनांक 10.10.2011 है, जो म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) एवं म0प्र0 सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रं. एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विप. सह. संस्था मर्यादित, हकीमाबाद तह. आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रं. 1527 दिनांक 10.10.2011 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह  
उप पंजीयक.

(G-799)



## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s SAMARPAN INDUSTRIAL COMPANY पता- 18-G INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL 462023 पंजी.क्र. 01/01/01/0510/22 दिनांक 24-03-2022 है। भागीदारी फर्म की स्थापना दिनांक 18.02.2004 को की गयी थी। जिसमें दिनांक 18.02.2004 को निम्न भागीदारगण शामिल थे। 1. Shri V.P. Sachdeva S/o Late. Shri Thakardas, R/o Govindpura Bhopal 2. Shri Lalit Sachdeva S/o Shri V.P. Sachdeva, R/o, Govindpura Bhopal. 3. Mrs Rakhi Marwaha W/o Mr. Vivek Marwah R/o, Govindpura Bhopal 4. Mrs Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, R/o Govindpura Bhopal दिनांक 30-12-2004 को Mrs. Rakhi Marwaha W/o Mr. Vivek Marwah R/o, Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म से पृथक हुई। दिनांक 30-12-2004 Mrs. Aradhana Sachdeva W/o Shri Lalit Sachdeva R/o Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुई। दिनांक 29.09.2021 को Shri Lalit Sachdeva S/o Shri V.P. Sachdeva, R/o, Govindpura Bhopal. का निधन हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक हुए। दिनांक 01.10.2021 को Mr. Divyansh Sachdeva S/o Shri Lalit Sachdeva R/o Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए। दिनांक 01.03.2022 को Shri V.P. Sachdeva S/o Late. Shri Thakardas, R/o Govindpura Bhopal एवं Mrs. Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, R/o Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म से पृथक हुए। दिनांक 01.03.2022 को Mrs. Tuhina Sharma D/o Late Shri Lalit Sachdeva R/o Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुई। दिनांक 01.03.2022 को फर्म का पता Industrial Estate Govindpura Bhopal के स्थान पर पता परिवर्तन कर- 18-G INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL 462023 किया गया है।

Partner

(Aradhana Sachdev)

M/s. SAMARPAN INDUSTRIAL COMPANY.

(G-800)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022—वैशाख 16, शक 1944

### भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)